

सं0सं0-9/आ-1-13/2019

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

डा0 प्रमोद झा, तत्कालीन सिविल सर्जन, पटना सम्प्रति अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के विरुद्ध क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमण्डल पटना के पद पर नहीं रहते हुए क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल पटना के बदले जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के आरोप में विभागीय पत्रांक 456(9) दिनांक 09.04.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. डा0 झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 16.04.2019 में उल्लेखित है कि दिनांक 31.03.2019 को तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक पटना प्रमंडल पटना के निदेश के आलोक में क्षेत्रीय अपर निदेशक पटना प्रमण्डल पटना का प्रभार लिया।

3. जिसका विभागीय स्तर पर समीक्षोपरान्त पाया गया कि डा0 झा एक वरीयतम चिकित्सा पदाधिकारी है, उनसे अपेक्षित है कि किस स्तर के पदाधिकारी द्वारा किस प्रकार का आदेश दिया जाता है।

4. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि डा0 प्रमोद झा का आचरण एक वरीय पदाधिकारी के लिये निन्दनीय है। डा0 प्रमोद झा अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को "निन्दन" की सजा शास्ति करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतः डा0 प्रमोद झा को "निन्दन" की सजा दी जाती है।

ह0/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 456(9)

/स्वा0, पटना, दिनांक:

30/3/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अपर- निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा0 प्रमोद झा, तत्कालीन सिविल सर्जन, पटना सम्प्रति अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव